दिनांक–07.05.2025 को सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में उत्तरी बिहार के सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक की कार्यवाही।

1. बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों की सूची निम्नवत् है:–
   (1) श्रीमती प्रीति तोंगरिया, विशेष सचिव
   (2) श्री नजर हुसैन, संयुक्त सचिव
   (3) श्री शम्स जावेद अंसारी, संयुक्त सचिव
   (4) श्री गोपाल शरण, विशेष कार्य पदाधिकारी
   (5) श्री आशुतोष कुमार, Project Lead

2. सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा सर्वप्रथम बैठक में सम्मलित सभी पदाधिकारियों का स्वागत कर बैठक की कार्रवाई प्रारम्भ की गयी। उत्तरी बिहार के सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारियों के साथ बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का निदेश दिया गया।

3. विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न कार्यों की समीक्षा के क्रम में निम्नांकित निदेश दिये गये:–

I. पंचायत सरकार भवन की समीक्षा:–

(क) पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य जून, 2025 तक पूर्ण करने का लक्ष्य सरकार के द्वारा रखा गया है। लेकिन समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक राज्य के उत्तरी बिहार के 21 जिलों में कुल 186 पंचायतों में भूमि अप्राप्त है। इस पर चिंता व्यक्त की गयी। इस संबंध में निदेश दिया गया कि विभागीय दिशा–निर्देश के आलोक में पंचायत सरकार भवन के निर्माण हेतु इस माह तक निश्चित रूप से भूमि चयन करना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन:–सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

(ख) ग्राम पंचायतों के माध्यम से निर्माण कराये जा रहे पंचायत सरकार भवन की प्रगति के संबंध में समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अभी भी उत्तरी बिहार के 13 ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। निदेश दिया गया कि संबंधित जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी इसकी समीक्षा कर एक सप्ताह के अन्दर कार्य प्रारंभ करवाना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन:–सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

कृ०पृ०उ०............

II. मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजनाः–

मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सभी फेजों को मिलाकर जिला सीतामढ़ी, वैशाली, सारण, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण, मधेपुरा एवं पश्चिम चम्पारण का Installation against Work Order का प्रतिशत काफी कम है। इन सभी जिलों को निदेश दिया गया है कि Installation against Work Order में तेजी लाना सुनिश्चित करें। जिन–जिन जिलों में एजेंसी द्वारा एकरारनामा की शर्तो का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, उनके विरूद्ध एकरारनामा के शर्तों के आलोक में कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए। समीक्षा में सभी DDC एवं DPRO को यह निदेश दिया गया कि CMS पर प्रदर्शित लाईट ही एजेंसी की वास्तविक उपलब्धि एवं सेवा की गुणवत्ता मानी जाए।

समीक्षा के क्रम में यह भी पाया गया है कि बेगूसराय, दरभंगा, गोपालगंज, कटिहार, मधुबनी, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सारण एवं सिवान जिलों में Signal Loss एवं Faulty सोलर स्ट्रीट लाईटों की संख्या अधिक है। सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि प्रत्येक सप्ताह CMS Potal के माध्यम से समीक्षा कर एकरारनामा के अनुसार एजेंसी के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः–संबंधित जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

III. 15वीं वित्त आयोग अंतर्गत अनुशंसित राशि के विरूद्ध व्यय की अद्यतन स्थितिः–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिला परिषद् समस्तीपुर, दरभंगा, कटिहार, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, अररिया एवं पूर्वी चम्पारण में प्राप्त अनुदान की राशि के विरूद्ध खर्च की गयी राशि का प्रतिशत सबसे कम है। इन सभी जिलों को खर्च में यथाशीघ्र वृद्धि करने का निदेश दिया। वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15वीं वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि के आलोक में उत्तरी बिहार के जिला परिषदों के द्वारा e-Gramswaraj Yojana पर मात्र 4.20 %, पंचायत समिति के द्वारा 8.14 % एवं ग्राम पंचायत के द्वारा 9.37 % राशि का ही व्यय किया गया है, जो चिंता का विषय है। दिनांक–12.03.2025 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आहूत बैठक में दिए गये निदेश के आलोक में व्यय करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः– संबंधित जिलों के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

IV. षष्ठ्म राज्य वित्त आयोग अंतर्गत अनुशंसित राशि के विरूद्ध व्यय की अद्यतन स्थितिः–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि से उत्तरी बिहार के जिला परिषदों को प्राप्त राशि का मात्र 12.16%, पंचायत समिति को प्राप्त राशि का मात्र 38.76% एवं ग्राम पंचायत को प्राप्त राशि का मात्र 45.41% अभी तक व्यय किया गया है, जिसमें तेजी लाते हुए शत–प्रतिशत व्यय करने का निदेश दिया गया।

लगातार............

(अनुपालनः—सभी जिलों के उप विकास आयुक्त—सह—मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

V. TA & AC का रोस्टर की अद्यतन स्थितिः—

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सारण, भागलपुर, कोशी, दरभंगा, मुंगेर, तिरहुत एवं पूर्णियां प्रमंडल के द्वारा TA & AC के रोस्टर बिन्दु से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया परन्तु मगध प्रमंडल से TA & AC के रोस्टर अप्राप्त है। निदेश दिया गया कि संबंधित उप विकास आयुक्त—सह—मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी अपने—अपने जिलों का रोस्टर बिन्दु प्रमण्डलीय आयुक्त से अनुमोदन प्राप्त कर विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें।

(अनुपालनः—सभी जिलों के उप विकास आयुक्त—सह—मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

VI. वित्तीय वर्ष 2022—23 में पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत पंचायत समिति संसाधन केन्द्र के निर्माण हेतु पंचायत समितियों के बैंक खाते में अंतिरित/उपलब्ध कराई गई राशि (ब्याज सहित) वापस किये जाने की अद्यतन स्थिति :—

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि बेगूसराय, अररिया, दरभंगा, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, समस्तीपुर, सीतामढ़ी एवं वैशाली जिलों में 01 करोड़ की राशि जमा नहीं करने वाले प्रखंडों की संख्या अधिक है, जिसपर चिन्ता व्यक्त की गयी है। इन सभी जिलों को निदेशित किया गया कि पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत उपलब्ध कराई गयी राशि यथाशीघ्र जमा करना सुनिश्चित करें। 31 मई तक जमा नहीं करने वाले प्रखंडों के जिम्मेदार पदाधिकारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई तथा राशि के वसूली के लिए उचित कार्रवाई की जाए।

(अनुपालनः—सभी जिलों के उप विकास आयुक्त—सह—मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

VII. जिलों में लंबित न्यायिक वादों की जिलावार का अद्यतन स्थिति :—

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिला सारण में 04, सिवान एवं वैशाली में 02-02 तथा मधेपुरा, पूर्णियां, सहरसा, सीतामढ़ी एवं पश्चिम चम्पारण में 01-01 MJC लंबित है। सभी CWJC/MJC मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालनः—सभी जिलों के उप विकास आयुक्त—सह—मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

VIII. RTPS Application की जिलावार अद्यतन स्थितिः—

RTPS Application के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिला मधुबनी के 01, मुजफ्फरपुर के 02 एवं पूर्वी चम्पारण के 03 पंचायतों में विभिन्न समस्याओं के कारण आवेदनों की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। निदेश दिया गया कि इन पंचायतों

लगातार............

में लॉग–इन से संबंधित समस्या को यथाशीघ्र निष्पादन किया जाए। कुछ जिलों यथा सिवान, मधुबनी, बेगूसराय, समस्तीपुर, सारण, पश्चिम चम्पारण एवं मुजफ्फरपुर में लंबित आवेदनों की संख्या अधिक है, जो कि चिंताजनक है। इस सभी जिलों को निदेश दिया गया है कि आवेदनों के निष्पादन में त्वरित कार्रवाई की जाए। कतिपय जिलों में RTPS केन्द्रों की संख्या के सापेक्ष आवेदन प्राप्त नहीं हो रहे, जिससे उनमें क्रियाशीलता के संबंध में संदेह उत्पन्न होता है। इसकी निरंतर Monitoring की जाए ताकि आम जनों को पंचायत सरकार भवन पर सुविधाएं प्राप्त हो सके।

(अनुपालनः–सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

IX. Summary of Gram Kachahari Having Registered Zero Case :–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सिवान, अररिया, सहरसा, बेगूसराय, कटिहार, सुपौल, मधुबनी, सारण एवं दरभंगा में Zero Case Registered ग्राम कचहरियों की संख्या अधिक है। इस पर असंतोष व्यक्त की गयी है। सचिव महोदय के द्वारा यह निदेश दिया गया कि इन सभी जिलों के नागरिकों को शिकायत दर्ज कराने हेतु जागरूक किया जाए।

(अनुपालनः–सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

X. लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन :–

(क) उत्तरी बिहार के सभी जिलों के लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र की समीक्षा की गयी एवं सभी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया अपने स्तर से अपने जिले के लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र की समीक्षा कर उपयोगिता प्रमाण–पत्रों का समायोजन कराने की दिशा में कार्रवाई करेंगे।

पूर्वी चम्पारण, मधुबनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चम्पारण, सीतामढ़ी, सिवान, दरभंगा एवं सारण जिलों के लंबित राशि की प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए निदेश दिया गया है कि अपने जिले का लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की स्थिति देख लें तथा शीघ्र उपयोगिता प्रमाण–पत्रों का समायोजन कराने हेतु कार्रवाई करें।

(ख) अंकेक्षण की स्थिति :– समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिलों में वर्तमान में किये जा रहे ऑडिट ऑनलाईन एवं सी0ए0फर्मो से संबंधित अंकेक्षण में प्रगति लाते हुए अंकेक्षण कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु निदेशित किया गया।
अंकेक्षण कार्यों में लापरवाही बरतने पर सभी संबंधितों पर नियमानुकूल कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है। साथ ही लोक लेखा समिति से संबंधित आपत्ति कंडिकाओं का अनुपालन हेतु निदेशित किया गया है।

लगातार............

(ग) **C.A Audit Progress Report (FY: 2023-24)** :— समीक्षा के क्रम में पाया गया कि गोपालगंज, कटिहार, किशनगंज, पश्चिम चम्पारण, पूर्वी चम्पारण एवं सिवान जिलों के पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, ग्राम कचहरी एवें वार्डों का ऑडिट प्रतिशत निम्न, है, इस पर चिन्ता व्यक्त की गयी। इन सभी जिलों को निदेशित किया गया कि C.A Firm के साथ समन्वय स्थापित कर ऑडिट प्रतिशत शत–प्रतिशत करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः—सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

सचिव, पंचायती राज विभाग द्वारा उपस्थित पदाधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ह०/—
(मनोज कुमार)
सचिव
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांकः—9प०/विविध—01—247/2023/6141**/पं०रा०** **पटना, दिनांक** 15/5/**2025**
प्रतिलिपिः—उत्तरी बिहार के सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, बिहार/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार/सभी अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी–सह–अपर जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(गोविन्द चौधरी)
उप सचिव

ज्ञापांकः—9प०/विविध—01—247/2023/6141**/पं०रा०** **पटना, दिनांक** 15/5/**2025**
प्रतिलिपिः— सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव के आशुलिपिक/निदेशक के आशुलिपिक/सभी प्रभारी पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(गोविन्द चौधरी)
उप सचिव

ज्ञापांकः—9प०/विविध—01—247/2023/6141**/पं०रा०** **पटना, दिनांक** 15/5/**2025**
प्रतिलिपिः—श्रीमती रंजना कुमारी, आई0टी0मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को भेजते हुए अनुरोध है कि उक्त पत्र सभी संबंधितों को ई–मेल करते हुए विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(गोविन्द चौधरी)
उप सचिव